न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 113 / 2013 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. मीरा पुत्री उम्मेद अली पत्नी इस्लाम उम्र 48 वर्ष जाति मुसलमान निवासी चांदे का पार (रामसर) जिला बाड़मेर (राज0)।	बनाम	1.पीर अलानुशाह वल्द कंभीरशाह जाति मुसलमान निवासी गरड़िया तहसील रामसर जिला बाड़मेर (राज0)। 2.जमीयत पुत्री उम्मेद अली जाति मुसलमान निवासी चांदे का पार 3.हुसैन वल्द जाम जाति मुसलमान निवासी कोनरा तहसील चौहटन 4.चनेसर पुत्र काम्भु जाति मुसलमान निवासी सेलाउ हाल लधे का पार 5.पंजाब नेशनल बैंक शाखा गागरिया 6.एस बी बी जे रामसर। 7.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रामसर जिला बाड़मेर (राज0)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर रामसर के राजस्व वाद संख्या 51 / 2012 बअनवान पीर अलानुशाह बनाम मीरा वगै. निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12.09.2013।

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 115 / 2013 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. मीरा पुत्री उम्मेद अली पत्नी इस्लाम उम्र 48 वर्ष जाति मुसलमान निवासी चांदे का पार (रामसर) जिला बाड़मेर (राज0)।	बनाम	1.पीर अलानुशाह वल्द कंभीरशाह जाति मुसलमान निवासी गरड़िया तहसील रामसर जिला बाड़मेर (राज0)। 2.जमीयत पुत्री उम्मेद अली जाति मुसलमान निवासी चांदे का पार 3.हुसैन वल्द जाम जाति मुसलमान निवासी कोनरा तहसील चौहटन 4.चनेसर पुत्र काम्भु जाति मुसलमान निवासी सेलाउ हाल लधे का पार 5.पंजाब नेशनल बैंक शाखा गागरिया 6.एस बी बी जे रामसर। 7.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रामसर जिला बाड़मेर (राज0)

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर रामसर के राजस्व वाद संख्या 51 / 2012 बअनवान पीर अलानुशाह बनाम मीरा वगै. निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.09.2013।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उपस्थिति

1. वकील श्री हुक्मसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री प्रवीण चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 26.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सेलाउ तहसील रामसर में खेत खसरा संख्या 74 रकबा 134.05 बीघा भूमि अपीलांट व उतरदातागण संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी की होना बतला कर उतरदाता संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद बाबत घोषणा व बंटवाड़ा का दिनांक 20.09.2012 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 14 नियम 1 से 3 सी पी सी के तहत कोई तनकियात कायम नहीं की और न ही कोई तनकीवार निर्णय ही पारित किया। अपीलांट की साक्ष्य नहीं ली, अपीलांट को केवल एक मौका साक्ष्य प्रस्तुत करने का देकर साक्ष्य बन्द कर दी जबकि आदेश 17 नियम 01 सी पी सी के तहत कम से कम 3 अवसर साक्ष्य प्रस्तुत करने के प्रदान करने चाहिये थे। तहसीलदार रामसर ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन कर एकतरफा बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर भेजा था। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24. 09.2013 को आवेदन पेश कर उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर आपति की थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आपति को दरकिनार कर आलोच्य आदेश पारित किया। सभी उतरदातागण ने मिल कर के अच्छी से अच्छी जमीन अपने पास रख ली और अपीलांट को धोंरों की जमीन दे दी और तहसीलदार रामसर ने राजस्व नियम 18 से 21 की कोई पालना नहीं की गई। अतः अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 14 नियम 1 से 3 सी पी सी के तहत कोई तनकियात कायम नहीं की और न ही कोई तनकीवार निर्णय ही पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को वादग्रस्त भूमि मे से दान की गई भूमि के सम्बन्ध में कोई अधिकार व हक निश्चित नहीं किये और न ही दान को प्रमाणित करने के लिये अपीलांट की तरफ से साक्ष्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

का उचित अवसर ही प्रदान किया बल्कि विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया। अपीलांट की साक्ष्य नहीं ली, अपीलांट को केवल एक मौका साक्ष्य प्रस्तुत करने का देकर साक्ष्य बन्द कर दी जबकि आदेश 17 नियम 01 सी पी सी के तहत कम से कम 3 अवसर साक्ष्य प्रस्तुत करने के प्रदान करने चाहिये थे। तहसीलदार रामसर ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन कर एकतरफा बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर भेजा था। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.09.2013 को आवेदन पेश कर उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर आपति की थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आपति को दरकिनार कर आलोच्य आदेश पारित किया। रेस्पोडेंट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा इसके बावजूद भी 24.09.2013 को डिक्री पारित कर दी गई जो कि न्यायोचित नहीं है। यह बंटवारा By Meets & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त पक्षकारान् को सूचना दी गई थी। विभाजन प्रस्ताव कब्जे काश्त यथा ढाणियां इत्यादि को पक्षकारान् के हितो को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अपीलांट का मूल मकसद विवाद के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब करना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds के सिद्धान्त के आधार पर किया है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपील मीमो के संबंध में एवं उसके द्वारा उठाये गए उज्र हिब्बा बाबत वैधानिक जानकारी ली, वास्तविकता पता की। <u>हिब्बा</u> संबंधी मुस्लिम विधि में प्रावधान हैं, जो मौखिक भी हो सकता है परन्तु उसमें कब्जे का हस्तांतरण होना आवश्यकत है। मौके पर <u>हिब्बा(दान)</u> वाली भूमि पर कथित कब्जा प्रमाणित होना स्वीकार नहीं किया गया। अपीलांट ने अपने अपील मीमो के आधार संख्या 3 में जो हिब्बा(दान) की बात कहकर उज्र/कथन किये हैं उसे प्रत्याहत करने की मंशा जाहिर कर अपीलाधीन निर्णय/डिक्री में जो सहखातेदारों के हक–हिस्से घोषित है, उसी को हूबहू स्वीकार करने में अपनी सहमति दी है और यह भी कहा है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सह–खातेदारों के मध्य हुआ विभाजन उचित एवं नियमानुसार By Metes & Bounds के सिद्धान्त के आधार पर नहीं हुआ है, लिहाजा विभाजन प्रस्ताव नये सिरे से मंगवा कर तदनुसर विभाजन करना न्यायोचित रहेगा। अतः इन सब तथ्यों के आलोक में अपील अपीलांट रिमाण्ड करना उचित होगा।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 51/2012 बअनवान पीर अलानुशाह बनाम मीरा वगै. में जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.09.2013 पारित किया है उसमें आंशिक संशोधन करना आवश्यक है। अतः अपीलाधीन निर्णय वाले विभाजन प्रस्ताव को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार रामसर की उपस्थिति में नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवा कर निर्णय पारित करे।

26/3/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 26.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/3/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner